



Neutral Citation No-2026:AHC:9054

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4713 वर्ष 2025

सुखलाल याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. लंबे विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज करने का अनुरोध किया है।
2. स्थायी अधिवक्ता को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. इस प्रकार, प्रस्तुत रिट याचिका को वापस लिए जाने के रूप में **खारिज** किया जाता है।

जनवरी 14, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)